

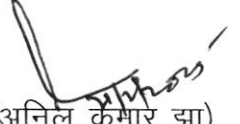
बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का०आ० संख्या- 1/स्था० क्षेत्र०-23/2013-252/ई०का० पटना, दिनांक 24 फरवरी, 2025

शुद्धि-पत्र

विभागीय आदेश संख्या-199/ई०का० दिनांक-10.02.2025 के क्रमांक-4 पर अंकित कार्यालय का नाम सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज के स्थान पर सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया पढ़ा जाय।

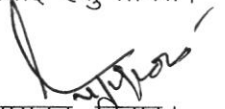
2. शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-252/ई०का०

पटना/दिनांक-24 फरवरी, 2025

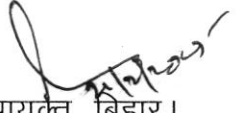
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 252/ई०का०

पटना/दिनांक- 24 फरवरी, 2025

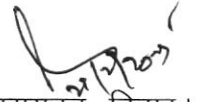
प्रतिलिपि- सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 252/ई०का०

पटना/दिनांक- 24 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि- आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।